31 07/19 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता व वादीगण को न्यायालय समय में बार-बार आवाजे लगवाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुए। लिहाजा प्रकरण अदम पैरवी / अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो मय नियम दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़
जिला-राजसमन्द